U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tks/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh ¼ Mk0 lfer 'kek] vkbZ-,-,l-

jktLo vihy la[;k 416@2020

vihykUV बनाम **jLiksMsUVl**

1. रतन सिह पुत्र नागसिंह
2. इन्द्रसिंह पुत्र नागसिंह जातियान भाट, निवासी – बूटडी तहसील रेवदर जिला सिरोही।

1. श्रीमती वसना कुंवर पुत्र धूक सिंह पत्नी भारतसिंह
2. श्रीमती दीवाली बाई पत्नी धूकसिंह निवासी–बूटडी तहसील रेवदर जिला सिरोही। हाल– द्वारा भारतसिंह पुत्र प्रतापसिंह भाट निवासी– इराणियों का मौहल्ला, धोरा ढाल, भीनमाल जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत द्वारा राजस्व अपील संख्या 01/2018 अनवान श्रीमती वसनाकुवरं वगैराह बनाम रतनसिंह वगैराह में दिनांक 24.10.2019 को पारित किया।

mifLFkfr%&&

1. श्री हनवन्तसिंह बालोत, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से उपस्थित।
2. श्री ओ0पी0 राठी, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पो0 संख्या 3 व 4 की तामील पूर्ण।

fu.kZ;

fnukad vDVwcj]2020

1. अपीलान्टस के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत यह राजस्व अपील सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत के द्वारा, राजस्व अपील संख्या 01/2018 अनवान श्रीमती वसनाकुवर बनाम रतनसिंह वगैराह में दिनांक 24.10.2019 को पारित किये आदेश के विरूद्ध दिनांक 10.09.2020 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस एवं अधिनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड तलब किया गया। मूल रेकर्ड प्राप्त होने तथा तामीली पूर्ण होने के पश्चात पक्षकारान की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण के द्वारा की गई बहस को सुना गया।

3. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया गया कि रेस्पोडेन्टस श्रीमती वसनाकुवर व श्रीमती दीवाली बाई के खातेदारी की कृषि भूमि मौजा बूटडी, तहसील रेवदर में खाता संख्या 8 खसरा संख्या 200, 201, 202, 203, 204, 205 कुल 6 खसरान की रकबा 62 बीघा 5 बिस्वा, खाता संख्या 14 खसरा संख्या 10, 56, 81, 92, 93, 100, 101, 105, 143/225, 144, 184 कुल 11 खसरान की रकबा 61 बीघा 8 बिस्वा, खाता संख्या 26, खसरा नं. 78, 163 कुल किता–2 कुल रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई है जिसमें श्रीमती वसनाकुवंर तथा दीवाली बाई का हिस्सा 1/6, 1/2, 1/6 बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है और उसी अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 व 2 श्रीमती वसनाकुवर व दीवाली बाई काश्त करते आ रहे है। श्रीमती दीवाली बाई जो स्व0 धूकसिह की पत्नी है जो 64 वर्षीय वृद्ध महिला है। अपीलार्थीगण रतन सिंह व इन्द्रसिंह रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता के नागसिंह के पुत्रगण है।

4. अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि श्रीमती रतना एवं दीवाली के उपरोक्त वर्णित भूमि के अलावा भी अन्य भूमियां आई हुई है जिसमें वो बतौर खातेदार दर्ज है। अपीलान्टस को वसनाकुंवर व दीवाली बाई की उपरोक्त वर्णित भूमि का दिनांक 23.5.2014 को बेचान विक्रय विलेख उनके रिश्तेदार द्वारा दलपतसिंह व पोपटलाल के हक में तैयार करवाकर उसकी आड में विक्रय करने की नियत से अपीलार्थीगण रतन सिंह व इन्द्रसिंह ने एक हकतर्क नामा तैयार करवाकर दिनांक 23.5.2014 को ही अपने नाम से पंजीयन करवा दिया जिसके आधार पर नामा0 संख्या 208 दर्ज करते हुए दिनांक 15.10.2014 को ग्राम पचांयत मकावल के द्वारा स्वीकृत किया। श्रीमती वसनाकुवंवर व दीवाली बाई द्वारा अपीलान्टस के पक्ष में किये गये हकतर्कनामें फर्जी तरीके के आधार पर सम्पादित किये जाने और उक्त क्रम में स्वीकृत नामा0 संख्या 208 को नियम विरूद्ध स्वीकृत होना बताते हुए उसे निरस्त कराने हेतु सहायक कलेक्टर रेवदर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो स्थानान्तरित होकर सहायक कलेक्टर आबूपर्वत के समक्ष दर्ज हुई।

5. सहायक कलेक्टर आबूपर्वत के द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई इत्यादि पूर्ण करने के उपरान्त अपने आदेश दिनांक 24.10.2019 को उपरोक्त नामा0 संख्या 208 दिनांक 15.10.2014 को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना न करने तथा विधि निर्धारित

प्रक्रिया को पूर्ण न करने के कारण खारिज कर दिया। विद्वान सहायक कलेक्टर आबूपर्वत के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध वर्तमान अपीलान्टस ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

6. अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा हम अपीलान्टस के पक्ष में दिनांक 23.5.2014 को रजिस्टर्ड हकतर्कनामा सम्पादित किया जो कि एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा उक्त दस्तावेज दोनों पक्षों की सहमति से स्वीकृति देने के उपरान्त ही पंजीकृत किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्टस का आज भी कब्जा व काश्त है। दिनांक 23.05.2017 से अपीलार्थीगण उपरोक्त दोनों विवादित खसरान भूमि पर कब्जा काश्त, निगरानी, रूकाली करते आ रहे है जिनकी जानकारी प्रारम्भ से ही श्रीमती वसनाकुंवर व श्रीमती दीवाली बाई को भली भांति रही है। श्रीमती वसना कुंवर व दीवाली बाई के द्वारा सम्पादित उक्त रजिस्टर्ड हकतर्कनामा के आधार पर स्वीकृत किया गया नामा0 संख्या 208 को सक्षम पदाधिकारी ग्राम पंचायत के द्वारा कब्जा सम्बन्धित जॉच कर संतुष्ट होने पर ही नामा0 को स्वीकृत किया गया था। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में रजिस्टर्ड दस्तावेज को अवैध व शून्य मान कर उक्त नामा0 के सम्बन्ध में गलत व नेगेटिव अप्रोच की है अतः उसे अपास्त किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त जब तक रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त नहीं किया जाता है तब तक वह क्रियाशीन रहता है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

7. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्टस उक्त हकतर्कनामें पर अंगुठा व हस्ताक्षर होना स्वीकार तो कर रहे है परन्तु दस्तावेज का निष्पादन करना स्वीकार नहीं कर रहे है और रेस्पोडेन्टस ने उपपंजीयक पर फर्जी दस्तावेज का पंजीयन करने का झूठा आरोप भी लगाया है। इस सम्बन्ध में वसनाकुंवर ने अधिनस्थ न्यायालय में फौजदारी मुकदमा संख्या 51/2016 जुर्म दफा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादस के तहत पुलिस थाना मण्डार में प्रकरण दर्ज करवाया था जो बाद अनुसंधान झूठा होने से अनुसंधानकर्ता ने अंतिम प्रतिवेदन नेगेटिव पेश किया थां इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य होकर यह द्वितीय अपील स्वीकार करने योग्य है।

8. अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय दिये जाने पर उनको दी गई सलाह के आधार पर उनके द्वारा पहले राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी थी जिसे राजस्वी अपील प्राधिकारी के द्वारा क्षेत्राधिकार नहीं होने से लौटाई जाने पर उनके द्वारा यह अपील माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है जिसे अन्दर म्याद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जावें। अन्त में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीगण उक्त खसरान भूमि के रेकर्डेड खातेदार है तथा अपीलार्थीगण की रजिस्टर्ड लीजडीड को दीवानी न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं करवाई जाती है तब तक अपीलार्थी के अधिकारों को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समाप्त नही किया जा सकता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील को स्वीकार किया जावे व अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.10.2019 निरस्त किया जावें।

9. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक व दो के अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया कि अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्टसगण आपस में रिश्तेदार है और एक ही परिवार के सदस्य है। अपीलार्थीगण के द्वारा अपने पक्ष में रेस्पोडेन्टस संख्या एक व दो की ओर से सम्पादित किये गये हकतर्कनामा दस्तावेज कूटरचित तरीके से तैयार करवाये गये थे, उक्त हकतर्कनामें पर वसनाकुंवर के न तो हस्ताक्षर है और न ही अंगुठा निशान है, वह उपपंजीयक के समक्ष सम्पादन दिवस में उपस्थित भी नहीं थी जो दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने इन्हीं तथ्यों/साक्ष्यों को अपीलान्टस के विरूद्ध प्रमाणित माना था और नामा0 स्वीकृत करने से पूर्व कब्जे की जॉच नहीं करने, सभी प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने व प्रमाण पेश करने का अवसर नहीं दिये जाने को विधि विपरित माना था और नामा0 स्वीकृत की दिनांक को ग्राम पंचायत बैठक का आयोजन नहीं होने और उसमें नामा0 के प्रस्ताव नहीं लिये जाने पर नामा0 स्पष्ट व उचित नहीं माना था। तत्पश्चात ही रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की प्रथम अपील में दर्शाये गये तथ्यों के आधार पर व दस्तावेजों के आधार अपील को स्वीकार करते हुए स्वीकृत नामा0 संख्या 208 को विधि अनुरूप स्वीकृत नहीं किये जाने के आधार पर उसे निरस्त किया गया था जो उचित है।

10. रेस्पो0 संख्या एक व दो के अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया कि उक्त हकतर्कनामें के सम्बन्ध में वसनाकुंवर ने पुलिस के समक्ष विभिन्न धाराओं में अपीलान्टस के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाई थी जिसमें अनुसंधान अधिकारी के द्वारा अनुसंधान पर अंतिम प्रतिवेदन लगा दिया गया उसे सिविल न्यायालय के द्वारा स्वीकार नहीं पुनः अनुसंधान के आदेश जारी किये है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायालय सिरोही द्वारा दीवानी मूल प्रकरण संख्या 07/2017 जो कि श्रीमती वसनाकुंवर व दीवाली बाई ने उल्लेखित हकतर्कनामें को अवैध व शून्य घोषित करवाने का पेश किया था उसमें संलग्न प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय के द्वारा दिनांक 22.05.2019 को यह आदेश दिया गया है कि ''श्रीमती वसनाकुंवर पुत्री धूकसिंह पत्नी भारतसिंह व श्रीमती दीवाली बाई की ओर से अप्रार्थीगण रतनसिंह पुत्र नागसिंह व इंद्रसिंह पुत्र नागसिंह निवासी–बूटडी के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण जबरदस्ती कब्जा नही करे, न ही उक्त भूमि को किसी अन्य को बेचान या हस्तान्तरित करे, न ही प्रार्थीगण के कब्जे में किसी प्रकार की रूकावट या दखलअंदाजी करें।''

11. इस प्रकार जब माननीय सिविल न्यायालय के द्वारा उक्त सम्पादित हकतर्कनामें के सम्बन्ध में किये गये अनुसंधान को पुनः विस्तृत जॉच करने बाबत जारी हुए आदेश तथा हकतर्कनामें में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में वरिष्ठ सिविल न्यायालय के द्वारा वादग्रस्त भूमि के कब्जे, बेचान/हस्तान्तरण नहीं करने का आदेश जारी किया जा चुका है तो राजस्व न्यायालय को यह अधिकार नहीं बनता है कि वह उक्त आदेश जारी होने के बावजूद किसी अन्य प्रकार का यानि अपील को स्वीकार/अस्वीकार करने सम्बन्धी आदेश जारी करें। अतः अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जावें।

12. हमने अपीलान्टस एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषकों द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपील, अपीलाधीन आदेश एवं अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों इत्यादि का अवलोकन किया गया। सहायक कलेक्टर आबूपर्वत के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 208 ग्राम

मकावल, जो कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से अपीलान्ट संख्या 1 व 2 को निष्पादित हकतर्कनामें के आधार पर ग्राम पंचायत ने अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकृत किया गया था, को विधि अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण न करने, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना न करने के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.10.2019 के द्वारा निरस्त किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलान्टस ने यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है। न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपील में वर्णित उल्लेखित खसरान भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य निष्पादित हकतर्कनामें के सम्बन्ध में तथा नामान्तरकरण कार्यवाही में बरती गई अनियमितता के सम्बन्ध में विस्तृत अग्रिम अनुसंधान करवाने के आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग रेवदर के द्वारा दिये गये है। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से वरिष्ठ सिविल न्यायालय, सिरोही के उक्त हकतर्कनामें अवैध तथा शून्य घोषित करवाये जाने हेतु पेश किये गये दीवानी वाद में अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में तथा बेचान/हस्तान्तरण नहीं किये जाने के सम्बन्ध में निषेधाज्ञा जारी की हुई है।

13. ऐसे में सभी तथ्यों पर गहनतापूर्वक विचार करने के उपरान्त हमारा विनम्र मत यह है कि पक्षकारान के उपरोक्त अपील प्रकरण में आई हुई भूमि बाबत राजस्व कार्यालय/न्यायालय के द्वारा किसी पक्षकार के पक्ष में न तो किसी प्रकार का निर्णय दिया जा सकता और न ही राजस्व रेकर्ड के परिवर्तन/रददोबदल सम्बन्धी कोई आदेश दिया जा सकता है। माननीय सिविल न्यायालयों के द्वारा जो भी अंतिम निर्णय जारी किया जायेगा, तब पक्षकारान अपनी–अपनी ओर से सक्षम स्तर पर अनुतोष प्राप्त करने के लिये अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेगें।

14. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस उपरोक्त आधार पर निस्तारित की जाती है। अपील निस्तारित होकर नम्बर से कम की जावें।

¼Mk0 lfer 'kekZ½
fMoh tuy dfe'uj]
tks/kiqj